



2026:AHC:58166

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 4430/2026

मूर्तजा

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: नरेन्द्र कुमार, योगेन्द्र पाल सिंह

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या- 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.के. निषाद, राज्य-प्रत्यर्थी के लिए विद्वान राज्य विधि अधिकारी को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 1/2026, उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के अंतर्गत, थाना परीक्षितगढ़, जिला मेरठ में पंजीकृत, के विचारण की लंबित अवधि में जमानत पर रिहा करने हेतु प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे अंतरस्थ उद्देश्य से इस वाद में मिथ्या फँसाया गया है। गैंग-चार्ट में उल्लिखित आपराधिक इतिहास को जमानत आवेदन के समर्थन में दायर शपथपत्र में स्पष्ट किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक को गैंग चार्ट में उल्लिखित समस्त वादों में पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, नेता या संयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (ब) में प्रगणित गिरोह के क्रियाकलापों में दुष्प्रेरण या सहायता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नहीं की है। आवेदक का उपरोक्त वाद के अतिरिक्त कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक द्वारा न्यायिक प्रक्रिया से फरार होने अथवा साक्षियों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो 08.01.2026 से कारागार में निरुद्ध है, वचन देता है कि यदि जमानत प्रदान की गई तो वह उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में वादों की भारी लंबितता के कारण विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2020 (11) एससीसी 648** के वाद में पारित निर्णय पर भरोसा व्यक्त किया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवलोकित किया है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध अनेक आपराधिक वादों की लंबितता स्वयं में जमानत अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती।

इसके विपरीत विद्वान ए.जी.ए. आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध नहीं कर सके और आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बनाए गए गैंग-चार्ट में दर्शाए गए वाद के अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य वाद भी इंगित नहीं कर सके।

तथ्यों की समग्रता, प्रकृति एवं अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात तथा अधिनियम की धारा 19(4) के उपबंध को भी दृष्टिगत रखते हुए और वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इस वाद को जमानत के लिए उपयुक्त पाता हूँ। अतः वर्तमान जमानत आवेदन **अनुज्ञात** किया जाता है।

आवेदक, **मुर्तजा**, को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभुओं पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—

(i) याचिकाकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे ऐसे व्यक्ति को तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) याचिकाकर्ता अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं बनाएगा/धमकी नहीं देगा।

(iii) आवेदक (i) वाद के प्रारंभ, (ii) आरोप की विरचना एवं (iii) कथन अभिलेखन हेतु नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) आवेदक इस आशय का वचनबंध दायर करेगा कि साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर, जब साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, वह कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के अवधारण के प्रयोजन तक सीमित है और इसे किसी भी रूप में वाद के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र रूप से अपने निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

20 मार्च, 2026

पीकेएस

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)